**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतरांकित प्रश्‍न सं. 16**

**21 जून, 2019 को उत्‍तरार्थ**

**विषय : पराली जलाने पर लगाए गये प्रतिबंध**

**16. श्री संजय सिंहः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वर्ष 2015 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद प्रति वर्ष दूसरे राज्यों में भी पराली जलाया जाना तेजी से फैल रहा है;

(ग) यदि हां, तो किसानों द्वारा हानिकर पराली जलाने से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी; और

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2015 के बाद से पराली जलाने वाले किसानों पर वर्षवार कितनी-कितनी शास्ति लगाई गई है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)**

1. राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 10.12.2015 को पारित आदेश में निदेश दिया था कि राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली, राजस्‍थान राज्‍य, पंजाब राज्‍य, उत्‍तर प्रदेश राज्‍य और हरियाणा राज्‍य के किसी भी हिस्‍से में कृषि अवशेषों को जलाना निषिद्ध है।
2. धान की पराली मुख्‍य रूप से रबी फसल की बुआई के लिए खेतों को खाली करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश राज्‍यों के सिंधु-गंगा मैदानी क्षेत्र में जलाई जाती है। तथापि, अन्‍य राज्‍यों द्वारा यह सूचना दी गई है कि अनियंत्रित फसल अवशेष जलाने की घटनाएं अधिक नहीं हैं।
3. 2018 में ‘’पंजाब, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश राज्‍य और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में फसल अवशेषों के स्‍वस्‍थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने’’ संबंधी केन्‍द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसमें केन्‍द्रीय निधि का कुल 1151.80 करोड़ रु. खर्च होगा ।

वर्ष 2018-19 के दौरान, किसानों को सब्‍सिडी पर स्‍वस्‍थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी का वितरण, स्‍वस्‍थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्रों (सीएचएस) की स्‍थापना और किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) का कार्यान्‍वयन करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश सरकार को क्रमश: 269.38 करोड़ रु., 137.84 करोड़ रु. और 148.60 करोड़ रु. की निधि जारी की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान, अब तक क्रमश: 248.00 करोड़ रु., 175.00 करोड़ रु. और 97.54 करोड़ रु. की राशि भी पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश सरकार को जारी की गई है।

1. कोई भी व्‍यक्‍ति या निकाय जो राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का उल्‍लंघन करता पाया जाता है, तो वह पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्‍तरदायी है और यह भुगतान संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है। राज्‍य सरकारों से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश सरकार ने केवल फसल अवशेषों को जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एकत्र किया है, जैसा कि नीचे बताया गया है।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| राज्‍य | राज्‍यों द्वारा एकत्र की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (लाख रूपए में) | | | |
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| पंजाब | शून्‍य | 73.22 | 133.94 | 167.58 |
| हरियाणा | शून्‍य | 19.38 | 52.78 | 61.72 |
| उत्‍तर प्रदेश | शून्‍य | शून्‍य | शून्‍य | 28.60 |

\*\*\*\*\*